उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-9/2018/360/तीस-4-2018-8(2)/2016

लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 51- क के उप-नियम (2) के खंड (चार) के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या ''प्रथम आगत प्रथम पावत'' के सिद्धांत पर अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की बुकिंग हेतु निम्नलिखित ढंग और रीति अधिसूचित करते हैं :-

ढंग और रीति

(1) नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धान्त पर किसी अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की बुकिंग ऑनलाइन ढंग के माध्यम से की जायेगी।

(2) किसी यान श्रृंखला की समस्त अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्याएं ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से आरक्षित किये जाने हेतु प्रारम्भिक तौर पर खोली जायेगी।

(3) ऐसी अधिसूचित संख्यायें, जो विहित नीलामी अवधि में नीलामी रहित रह जाती हैं, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित फीस के संदाय के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-51क के उपनियम (2) में विहित शुल्क का अग्रिम संदाय करके बुकिंग हेतु खोली जायेगी।

(4) ई-नीलामी की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(एक) समस्त अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्याओं की नीलामी सात दिनों के लिये खोली जायेगी, जो परिवहन कार्यालय में यान श्रृंखला के प्रारम्भ होने के दिनांक को पूर्वान्ह 10:00 बजे प्रारम्भ होगा।

(दो) उपरोक्त उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट सात दिनों मे से प्रथम चार दिन बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये होंगे और अगले तीन दिन संबंधित अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के लिये बोली लगाने की अवधि के लिये होंगे।

(तीन) नीलामी हेतु बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण हेतु दिये गये समय में, कम से कम तीन बोली लगाने वाले होंगे।

(चार) यदि बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम होती है तो उस स्थिति में उस अधिसूचित संख्या के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया, सात दिन की अग्रतर अवधि हेतु बढ़ा दी जायेगी।

(पॉच) बढ़ायी गयी सात दिनों की अवधि में भी प्रथम चार दिन, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये होंगे तथा अगले तीन दिन, संबंधित अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की बोली लगाने की अवधि होगी।

(छः) यदि बढ़ाई गयी अवधि में, तीन बोली लगाने वाले भाग नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में उक्त संख्या उच्चतम बोली लगाने वाले को आवंटित कर दी जायेगी, भले ही एक ही बोलीदाता हो।

(सात) प्रथम सात दिन की अवधि में बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण बढ़ायी गयी सात दिन की अवधि के लिये विधि मान्य होगा। उन्हें स्वयं पुनः रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं है और वे बढ़ायी गयी अवधि में उस अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की ई-नीलामी में भाग लेने के लिये पात्र होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(आठ) किसी पात्र व्यक्ति, जो किसी अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की ई-नीलामी में भाग लेना चाहता हो, को सर्वप्रथम परिवहन विभाग के सम्बन्धित वेबपोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र सही-सही भरकर तथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति धनराशि का ऑनलाइन संदाय करके स्वयं को बोली लगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराना होगा।

(नौ) यदि कोई बोली लगाने वाला एक से अधिक अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करना होगा।

(दस) किसी अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए प्रतिभूति धनराशि, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 51-क के उपनियम (2) के खण्ड (चार) के अधीन विहित फीस की एक-तिहाई होगी।

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सूचना और आवश्यक विवरण यथा-लॉगिन आईडी एवं बोली हेतु पासवर्ड आदि, आवेदन के समय रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर अथवा दिये गये ई-मेल या दोनों पर प्रेषित कर दिये जायेंगे।

(बारह) रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले विनिर्दिष्ट अवधि में संबंधित अधिसूचित संख्या के लिए बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त अवधि में रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले संबंधित अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये एक से अधिक बोली लगा सकते हैं और उसके लिये उन्हें अतिरिक्त प्रतिपूर्ति धनराशि का संदाय नहीं करना होगा।

(तेरह) किसी अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए किसी बोली लगाने वाले द्वारा प्रथम बोली की धनराशि, उस अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये विहित फीस की धनराशि से अधिक होगी और बोली लगाने वालों द्वारा लगायी जाने वाली अगली बोलियाँ पाँच सौ रूपये के गुणांक में होगी।

(चौदह) ई-नीलामी के सात दिनों में से बोली लगाने के लिये दिया गया तीन दिन का समय, बोली के अन्तिम दिनांक को अपरान्ह 06:00 बजे समाप्त हो जायेगा।

(पन्द्रह) बोली लगाने के समय के समाप्त होने पर सफल बोली लगाने वाले का नाम पोर्टल पर तत्काल प्रदर्शित किया जायेगा।

(सोलह) सफल बोली लगाने वाले को आवेदन के समय रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर अथवा दिये गये ई-मेल अथवा दोनों पर सूचना प्रदान की जायेगी।

(सत्रह) अधिसूचित संख्या, सफल बोली लगाने वाले, जिसे आगे प्रथम बोली लगाने वाला कहा गया है, के पक्ष में इस शर्त के साथ आरक्षित की जायेगी कि बोली की धनराशि (बोली हेतु रजिस्ट्रीकरण के समय पहले ही जमा प्रतिभूति धनराशि को घटाते हुए) प्रथम बोली लगाने वाले द्वारा बोली समाप्त होने के दिनांक से सात दिन के भीतर ऑनलाइन जमा की जायेगी।

(अठारह) यदि प्रथम बोली लगाने वाला ऊपर उपखण्ड (सत्रह) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोली की धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या का आवंटन रद्द हो जायेगा और उक्त बोली लगाने वाले द्वारा नीलामी में भाग लेने के लिये जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि समपहृत हो जायेगी।

(उन्नीस) प्रथम बोली लगाने वाले हेतु अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या का आवंटन रद्द किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले को आवंटित की जायेगी तथा द्वितीय बोली लगाने वाले द्वारा बोली का प्रस्ताव स्वीकार करने में अनिच्छुक होने या बोली की धनराशि जमा करने में विफल होने की स्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या तृतीय उच्चतम बोली लगाने वाले को आवंटित की जायेगी।

(बीस) यदि यथास्थिति द्वितीय बोली लगाने वाला या तृतीय बोली लगाने वाला अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित किये जाने के पश्चात बोली की धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण का आवंटन निरस्त हो जायेगा और उक्त बोली लगाने वाले की जमा प्रतिभूति धनराशि समपहृत हो जायेगी।

(इक्कीस) प्रथम बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार करने से इन्कार करने वाले बोली लगाने वालों सहित असफल रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय सफल बोली लगाने वाले द्वारा बोली की धनराशि जमा किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर उसी बैंक खाता में, जहाँ से धनराशि डेबिट की गयी थी, ऑनलाइन ढंग के माध्यम से किया जायेगा।

5. परिवहन विभाग, बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि पर किसी व्याज का संदाय किये जाने का दायी नहीं होगा।

6. खण्ड (4) के उपखण्ड (इक्कीस) में निर्दिष्ट बोली लगाने वालों के बैंक खाता में जमा प्रतिभूति धनराशि के प्रतिसंदाय की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिये परिवहन विभाग द्वारा संग्रह खाता के रूप में अभिहित एकल खाता भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय शाखा, लखनऊ में खोला जायेगा और उस खाते को परिवहन विभाग के सरकारी ई-नीलामी पोर्टल से लिंक किया जायेगा।

7. सफल बोली लगाने वाले द्वारा उक्त संग्रह खाता में जमा बोली की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किये जाने के उसी दिनांक को या अगले दिनांक को अवश्य ऑन लाइन माध्यम से क्रेडिट कर दी जायेगी।

8. यदि किसी तकनीकी कारणवश नीलामी की प्रक्रिया चार घंटे या उससे अधिक अवधि के लिये बाधित होती है, तो उक्त व्यवधान अवधि के लिये नीलामी की प्रक्रिया में वृद्वि किये जाने का विनिश्चय परिवहन आयुक्त में निहित होगा।

9. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
ह0/
आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।


1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2018/360(1)/तीस-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 13 मार्च, 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियां परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-9/2018/360(2)/तीस-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित समाचार पत्रों की पॉच-पॉच प्रति परिवहन अनुभाग-4 कक्ष संख्या-320 तृतीय तल बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-9/2018/360(3)/तीस-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अपेक्षा के साथ पृष्ठांकित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह शासन से उक्त अधिसूचना की साफट कापी (पेन ड्राइव/सीडी) लेकर तत्काल राजकीय मुद्रणालय एवं सूचना निदेशक कार्यालय से सम्पर्क करते हुए उक्त अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सड्क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, भारत सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.9/2018/360/XXX-4-2018-8(2)/2016 dated March 13, 2018

NOTIFICATION

No.9/2018/360/ xxx-4-2018-8(2)/2016
Lucknow: Dated: March 13, 2018

In exercise of the powers under the proviso to clause (iv) of sub rule (2) of rule 51-A of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, the Governor is pleased to notify as follows the mode and manner for the booking of notified registration number either through the process of auction or on the principle of "First Come First Serve" basis :-

Mode And Manner

(1) The booking of notified registration number either through the process of auction or on the principle of "First Come First Serve" shall be made through online mode.

(2) All the notified registration numbers of a vehicle series shall be initially opened for reservation through online auction.

(3) Those notified numbers which remain un-auctioned in the prescribed period of auction shall be opened for booking by advance payment of fees prescribed under sub-rule (2) of Rule-51A of UP Motor Vehicle Rules, 1998 in addition to the payment of the fee prescribed under sub-section (2) of section 41 of the Motor Vehicle Act, 1988.

(4) The process of e-auction shall be as under:-

(i) The e-auction of all notified registration numbers shall be opened for seven days which shall start at 10 AM of the date of the beginning of a vehicle series in a Transport Office.

(ii) The first four days of the seven days referred to in sub clause (i) above shall be for the registration of bidders and the next three days shall be the period for making bids for the concerned notified registration numbers.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) In the given time for registration of bidders for auction, there shall be at least three bidders.

(iv) If the numbers of bidders is less than three, then in that case the process of e-auction for that notified number shall be extended for a further period of seven days.

(v) In the extended period of seven days also, the first four days shall be for the registration of bidders and the next three days shall be the period for making bids for the concerned notified registration number.

(vi) If in the extended period, three bidders do not take part, then in that case the said number shall be allotted to the highest bidder, even if there is only one bidder.

(vii) The registration of the bidders of first seven day period shall be valid for the extended period of seven days and they need not have to register themselves again, and they shall be eligible for taking part in the e-auction of that notified registration number in the extended period.

(viii) Any eligible person, who desires to take part in e-auction of any notified registration number, shall have to first register himself as bidder by correctly filling the application form available on the concerned web portal of Transport Department and paying the specified earnest money through online mode.

(ix) If any bidder desires to take part in e-auction for more than one notified registration number, then he shall have to submit application and pay the specified fee separately for each notified registration number.

(x) The earnest money for a notified registration number shall be one-third of the prescribed fee under clause (iv) of sub-rule (2) of rule 51-A of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998.

(xi) The information related to registration and the necessary details like login ID and password etc for bidding shall be sent to registered mobile number or e-mail or both given at the time of application.

(xii) Registered bidders can take part in bid for the concerned notified number in the specified period. In the said period registered bidders can make more than one bid for the concerned notified registration number, and for that they will not have to pay additional earnest money.

(xiii) The first bid amount by any bidder for any notified registration number shall be more than the amount of fee prescribed for that notified registration number, and all the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

next bids by the bidders shall be in the multiples of five hundred rupees.

(xiv) The given bidding time of three days of seven days of e-auction shall come to an end on the last day of bidding at 6 PM.

(xv) With the end of the bidding time, the name of successful bidder shall be flashed immediately on the portal.

(xvi) The successful bidder will be intimated on registered mobile number or e-mail or both given at the time of application.

(xvii) The notified number will be reserved in favour of the successful bidder, hereinafter referred to as the first bidder, with the condition that the bid amount (minus the earnest money already deposited at the time of registration for bid) shall be deposited online by the first bidder within seven days from the date of closure of bid.

(xviii) If the first bidder fails to deposit the bid amount within the period specified in sub-clause (xvii) above, the allotment of notified registration number shall stand cancelled and the earnest money deposited by the said bidder to take part in auction shall be forfeited.

(xix) In case of cancellation of allotment of notified registration number to the first bidder, the concerned notified registration number shall be allotted to the second highest bidder and in case of unwillingness to accept the bid offer or failure of depositing the bid amount by the second bidder, the same notified registration number shall be allotted to the third highest bidder.

(xx) If the second bidder or the third bidder, as the case may be, fails to deposit the bid amount after the allotment of notified registration number, the allotment of notified registration shall stand cancelled and the deposited earnest money of the said bidder shall be forfeited.

(xxi) The earnest money deposited by the unsuccessful registered bidders including such bidders who denied to accept the bid of the first bidder shall be refunded through online mode to the same bank account from which the amount was debited, within 15 days from the date of deposit of bid amount by the successful bidder.

5. The Transport Department shall not be liable to pay any interest on the earnest money deposited by the bidder.

6. To simplify the process of refund of deposited earnest money to the bank account of the bidders referred to in sub-clause (xxi) of clause

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) a single account designated as Collection Account will be opened at State Bank of India, Government Business Branch, Lucknow by the Transport Department and that account will be linked to the official e-auction portal of Transport Department.

7. The bid amount, deposited in the said Collection Account by the successful bidder, shall be credited to the government treasury on the same day of deposit or at the next date positively through online mode.

8. If the process of auction is interrupted for the period of four hours or more by any technical reason then the decision to extend the process of auction for the said period of interruption shall be vested in Transport Commissioner.

9. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

By Order,
sd/
Aradhana Shukla
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।